राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5226/2021

सत्यपाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
3. महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, भिवाड़ी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.10.2021
आदेश की दिनांक : 21.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस.राघव, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को नकद ईनाम नहीं देकर कांस्टेबल दयाराम व अवनेश की भांति वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान करते हुए समस्त लाभ जिस दिनांक से दयाराम व अवनेश को दिए गए हैं, उसी दिनांक से अपीलार्थी को भी उक्त लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति फरवरी, 2014 में कांस्टेबल के पद पर हुई थी और बहुजन समाज पार्टी से जसराम गुर्जर जो हिस्ट्रीशीटर था। वर्ष 2019 में विक्रम उर्फ लादेन, विक्की डोर की गैंग ने जसराम गुर्जर का गोलियों से हत्या की थी और उक्त मुल्जिमानों की गैंग ने भिवाडी क्षेत्र में दूध डेयरी प्लांट के मालिक फखरू यादव को नवम्बर, 2019 में धमकी दी कि रूपये 10 लाख दो, नहीं देने पर फायरिंग की गई तथा एक फॉच्यूनर,

दो पीकअप तथा अन्य गाडियों को जला दिया गया। इलाके में बार–बार गोलियां चलने के कारण विभाग ने टीम गठित कर विक्रम, विक्की को जो पकडेगा, उसको 25–25 हजार रूपये का ईनाम दिया जायेगा तथा विशेष पदोन्नति भी दी जायेगी। विभाग द्वारा अवनेश, दयाराम व अन्य कांस्टेबलों की टीम बनाई गई, जिसको विक्रम को हैदाराबाद से, अवनेश व दयाराम व अन्य की टीम ने पकडकर गिरफ्तार किया तथा विक्की डोर व अन्य 5 सहयोगियों को अपीलार्थी द्वारा पकडा गया और इस प्रकार अपीलार्थी ने जान जोखिम में डालकर दुर्दान्त हिस्ट्रीशीटर को पकडा। विक्रम उर्फ लादेन के रूपये 25 हजार के हिस्ट्रीशीटर को पकडने पर अवनेश व दयाराम को कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान की गई। परंतु अपीलार्थी को उक्त कार्य के संबंध में विशेष पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। मात्र नकद ईनाम दिया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। दयाराम व अवनेश को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियम, 1989 के नियम 28ए के प्रावधानानुसार आदेश दिनांक 29.07.2020 के द्वारा कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध विशेष पदोन्नति प्रदान की गई, परंतु अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित रखा गया, जो समानता के अधिकारों का उल्लंघन है, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने पुनः दिनांक 07.01.2021 को प्रार्थना पत्र दिया, परंतु विभाग द्वारा उसका कोई निस्तारण नहीं किया गया। विभाग द्वारा 2 हिस्ट्रीशीटरों में एक हिस्ट्रीशीटर पकडे जाने पर दयाराम व अवनेश को नकद ईनाम व विशेष पदोन्नति प्रदान की गई और अपीलार्थी ने दूसरे हिस्ट्रीशीटर को पकडा और साथ ही 20 हथियार भी जब्त किए, परंतु अपीलार्थी को विभाग द्वारा मात्र नकद ईनाम राशि प्रदान की गई, परंतु विशेष पदोन्नति से वंचित रखा गया, जो विधि एवं नियम, 1989 के नियम 28ए के प्रावधानों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को नकद ईनाम नहीं देकर कांस्टेबल दयाराम व अवनेश की भांति वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान करते हुए समस्त लाभ जिस दिनांक से दयाराम व अवनेश को दिए गए हैं, उसी दिनांक से अपीलार्थी को भी उक्त लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि वर्ष 2019 में जसराम गुर्जर का हत्या हुई

थी, जो बहरोड थाने में प्रकरण संख्या 619 / 2019 दर्ज है। उक्त मामले में वांछित अपराधी विक्रम उर्फ लादेन एवं विक्की यादव उर्फ विक्रांत उर्फ विक्रम डोर, नरेश गुर्जर व बनवानी गुर्जर पर पुलिस अधीक्षक भिवाडी ने रूपये 5–5 हजार व पुलिस महानिदेशक राजस्थान ने वांछित अपराधी विक्रम उर्फ लादेन को रूपये 25 हजार व पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज द्वारा वांछित अपराधी विक्की यादव उर्फ विक्रम डोर को रूपये 20 हजार के ईनाम घोषित किये गये। अपीलार्थी व दयाराम एवं अवनेश की भूमिका अलग होने के कारण अपीलार्थी को विशेष पदोन्नति प्रदान नहीं की गई और किसी भी कार्मिक को विशेष पदोन्नति हेतु कोई विधिक अधिकार नहीं है। अपीलार्थी को आदेशानुसार नकद ईनाम व प्रशंसा पत्र दिया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष आधारहीन है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी द्वारा उत्कृष्ट व साहसिक कार्य हेतु विशेष पदोन्नति हेतु अभिशंषा पुलिस अधीक्षक, जिला भिवाडी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नीमराणा, जिला भिवाडी एवं पुलिस उप अधीक्षक वृत्त बहरोड, जिला भिवाडी तथा थानाधिकारी पुलिस थाना बहरोड द्वारा भेजी गई। परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को विशेष पदोन्नति प्रदान किए जाने से वंचित किया गया और मात्र नकद ईनाम राशि प्रदान की गई। जबकि दयाराम व अवनेश को उक्त कार्य के लिए विशेष पदोन्नति प्रदान की गई, जो समानता के नियमों का उल्लंघन है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति फरवरी, 2014 में कांस्टेबल के पद पर हुई थी और बहुजन समाज पार्टी से जसराम गुर्जर जो हिस्ट्रीशीटर था। वर्ष 2019 में विक्रम उर्फ लादेन, विक्की डोर की गैंग ने जसराम गुर्जर का गोलियों से हत्या की थी और उक्त मुल्जिमानों की गैंग ने भिवाडी क्षेत्र में दूध डेयरी प्लांट के मालिक फखरू यादव को नवम्बर, 2019 में धमकी दी कि रूपये 10 लाख दो, नहीं देने पर फायरिंग की गई तथा एक फॉच्यूनर, दो पीकअप तथा अन्य गाडियों को जला दिया गया। इलाके में बार–बार गोलियां चलने के कारण विभाग ने टीम गठित कर विक्रम, विक्की को जो पकडेगा, उसको 25–25 हजार रूपये का ईनाम दिया जायेगा तथा

विशेष पदोन्नति भी दी जायेगी। विभाग द्वारा अवनेश, दयाराम व अन्य कांस्टेबलों की टीम बनाई गई, जिसको विक्रम को हैदाराबाद से, अवनेश व दयाराम व अन्य की टीम ने पकडकर गिरफ्तार किया तथा विक्की डोर व अन्य 5 सहयोगियों को अपीलार्थी द्वारा पकडा गया और इस प्रकार अपीलार्थी ने जान जोखिम में डालकर दुर्दान्त हिस्ट्रीशीटर को पकडा। विक्रम उर्फ लादेन के रूपये 25 हजार के हिस्ट्रीशीटर को पकडने पर अवनेश व दयाराम को कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान की गई। परंतु अपीलार्थी को उक्त कार्य के संबंध में विशेष पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। मात्र नकद ईनाम दिया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। दयाराम व अवनेश को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियम, 1989 के नियम 28ए के प्रावधानानुसार आदेश दिनांक 29.07.2020 के द्वारा कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध विशेष पदोन्नति प्रदान की गई, परंतु अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित रखा गया। जहां तक आदेश दिनांक 29.07.2020 के द्वारा कांस्टेबल अवनेश कुमार एवं दयाराम को नियम 28ए के अंतर्गत रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध पुरूस्कार एवं पदोन्नति हेतु गठित कमेटी की अभिशंषा पर हैड कांस्टेबल के पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान किये जाने एवं अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित रखे जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी द्वारा किए गए उत्कृष्ट, मुल्जिमानों को गिरफ्तार करने जैसे जोखिम एवं साहस भरे कार्य करने पर विशेष पदोन्नति हेतु प्रत्यर्थी संख्या 5 पुलिस पुलिस अधीक्षक, भिवाडी द्वारा दिनांक 07.04.2020 को एवं पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर द्वारा पुलिस महानिदेशक, जयपुर को दिनांक 07.12.2020 को अभिशंषा भेजी गई, जिसमें अपीलार्थी को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 28ए के तहत विशेष पदोन्नति देने हेतु अनुशंसा की गई। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 28ए जो निम्न प्रकार हैं :–

> *"10. It is unfortunate that pick and choose method has been applied by the DGP in implementing Rule 28-A. Even representatin of the appellant was not properly considered. No reasons have been assigned as to why the cash award was considered appropriate and why promotion was not given to the appellant. It is no doubt true that discretion to promote constable to the post of Head Constable vested in the DGP but the discretion ought to have been exercised judicially, fairly and uniformly. It was not open to the DGP to discriminate between the persons similarly situated. The act of DGP in not giving*

promotion to the appellant is thus violative of Article 14 of the Constitution of India."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सी.एस.ए. (रिट) संख्या 399/2005 मोहम्मद यूनस खान बनाम राजस्थान राज्य में दिनांक 30.01.2008 निर्णय पारित किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा किए गए, उत्कृष्ट एवं जोखिम भरे कार्यों पर विवेचन के आधार पर उसे विशेष पदोन्नति दिए जाने का निर्देश दिया। इसी तरह डी.बी.सी.एस.ए. संख्या 654/2015 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा राजस्थान राज्य बनाम उम्मेद सिंह में पारित निर्णय दिनांक 08.08.2016 जिसमें सरकार की अपील को खारिज किया और प्रार्थी को रूपये 20,000/– ईनाम राशि दी गई, को माननीय उच्च न्यायालय ने उसके कार्यों के आधार पर नियम 28ए के तहत विशेष पदोन्नति देने का निर्देश दिया।

उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा किए गए उत्कृष्ट, मुल्जिमानों को गिरफ्तार करने जैसे जोखिम एवं साहस भरे कार्य करने पर विशेष पदोन्नति हेतु प्रत्यर्थी संख्या 5 पुलिस अधीक्षक, भिवाडी द्वारा दिनांक 07.04.2020 को एवं पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर द्वारा पुलिस महानिदेशक, जयपुर को दिनांक 07.12.2020 को अभिशंषा भेजी गई, को ध्यानपूर्वक विवेचन कर अपीलार्थी द्वारा किए गए उत्कृष्ट एवं जोखिम भरे कार्यों पर सही मूल्यांकन एवं उल्लेख कर नियम 1958 के नियम 28ए के अंतर्गत एवं उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों तथा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.08.2016 के बिंदु संख्या 3 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विशेष पदोन्नति प्रदान किए जाने हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार करें। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथी से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य